न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 205 / 2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021 / 496

अपीलार्थी
श्री फूलचन्द मीना,
निवासी–मकान नं. 1116बी, सेक्टर–41बी,
चण्डीगढ ।

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.03.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी कार्यालय को प्रस्तुत शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत सूचना / प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः – के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब पत्र सं. 252 दिनांकः 15.12.2021 मय संलग्नक का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत अपील के अनुसरण में पत्र सं. न्याय / विविध / 2021 / 252–253 दिनांकः 15.12.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए इस न्यायालय को प्रति पृष्ठांकित की है।
7. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 01.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी के प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त सूचना का प्रेषण किया गया है जो कि लगभग 09 माह से भी अधिक समय विलम्ब से किया गया विनिश्चय है।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चत करावें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 20.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर